संख्या-सा-3-1952/दस-933/89 टी.सी.

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य (अनुभाग-3 — लखनऊः दिनांकः 5 दिसम्बर, 2001

विषयः- शासनादेश संख्या-सा-3-911/दस-2001-933/89 टी.सी., दिनांक-16.7.2001 के स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पे.नि./कैम्प-3-2001/697, दिनांक-4.9.2001 में संदर्भित जिज्ञासा बिन्दुओं के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 16.7.2001 के निर्गत होने के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों के 36 माह में आहरित वेतन की संनिरीक्षा की जाती थी, परन्तु उसके साथ आवश्यकता पड़ने पर उसके पूर्व वर्षों में आहरित वेतन की भी संनिरीक्षा की जा सकती थी। शासनादेश दिनांक 16.7.2001 में केवल यह संशोधन किया गया है कि पेंशन प्राधिकारी पत्र जारी करने से पूर्व पेंशन प्राधिकर्ता अधिकारी सामान्यतया संबंधित सरकारी सेवक की अन्तिम 10 माह की परिलब्धियों की संनिरीक्षा करेंगे और पूर्व अवधि के सही वेतन निर्धारण एवं भुगतान का दायित्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी का रहेगा। उपरोक्त के साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि सरकारी सेवक के अन्तिम 10 माह के पूर्व किसी अवधि में गलत वेतन निर्धारण परिलक्षित होता है जिसके कारण राज्य सरकार को वित्तीय क्षति हुई है तो राज्य सरकार को वित्तीय क्षति से बचाने के उद्देश्य से, उस तथ्य की जानकारी उसके कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष से कराई जाए और कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराने के उपरान्त ही सुसंगत नियमों के अन्तर्गत परिलाभोपरान्त प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाए।

2- शासनादेश संख्या-सा-3-911/दस-2001-933/89 टी.सी. दिनांक-16.7.2001 में निहित व्यवस्था का यह आशय कदापि नहीं है कि पेंशन प्रकरण त्रुटिपूर्ण होने पर भी उसे मान्यता प्रदान कर दी जाए और उससे शासन को वित्तीय क्षति उठानी पड़े। पेंशन प्रकरणों को निस्तारित करते समय शासन के हितों का

...2/-

विशेष ध्यान अवश्य रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाये कि शासन को किसी भी स्थिति में वित्तीय क्षति न हो।

भवदीय,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।